न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला–नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 111/2019

वादी –

1. गिरधारीलाल पुत्र दुलाराम
   जाति–जाट निवासी–कमेड़िया, तहसील–जायल (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. दुलाराम पुत्र शिवनारायण
   जाति–जाट, निवासी–कमेड़िया तहसील–जायल जिला–नागौर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला–नागौर।

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्कारी अधिनियम–1955

उपस्थिति :–

1. श्री दशरथसिंह राठौड अधिवक्ता वादीगण
2. श्री नरेन्द्रसिंह राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 02 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय **दिनांक :** 15/06/2024

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादपत्र में निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पुश्तैनी बडेर के खेत ग्राम 259, 260, 308, 309, 635/385, 529/385 के रूप में ग्राम कमेड़िया में स्थित है। मुतदाविया खेताय की भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 दुलाराम के नाम दर्ज है।

वादी बाल बच्चेदार व्यक्ति है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मौखिक समझौता माफिक पिछले 5 साल से मुतदाविया खेतायों में से खसरा नं. 635/385, 529/385 की भूमि वादी के हक बंट व कब्जा काश्त में रही है तथा शेष भूमि यथावत् प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे काश्त रही है। उक्त समझौता के

15/06/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागोर

अनुसार वादी के कब्जे काश्त की भूमि का आदिनांक तक राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं हुआ है। मुतदाविया खेतायों का बंटवारा होने तथा कब्जा काश्त होने पर भी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने से खातेदार काश्तकारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पाने तथा भविष्य में किसी प्रकार विवाद उत्पन्न न हो इस कारण वाद पत्र बाबत् घोषणा, खातेदारी एवं बंटवारा हेतु प्रस्तुत किया है जिसे माफिक वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा वादपत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णन अनुसार खातेदार/काश्तकार के हक बंट में घोषित करते हुये तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने वकालात नामा व ईकबालिया जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद पत्र में केवल प्रफोर्मा पक्षकार है। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 का इकबालिया जबाव व प्रकरण तथा प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्यवादी में शपथ पत्र गवाह दुलाराम का पेश हुआ तथा बयानात् पीडब्ल्यू1–3 क्रमशः लक्ष्मी, छोटी देवी, मुन्नीदेवी पुत्रियां दुलाराम के किये गये जो शामिल मिसल है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी ग्राम–कमेड़िया तहसील–जायल सम्वत् 2069–2072 खाता संख्या 118, 119 प्रदर्श 1–2 कराई। जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जरिये इकबालिया जवाब के वादपत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र को माफिक वाद स्वीकार किये जाने को निवेदन किया।

बहस वकुलाय पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त खेताय की भूमि प्रतिवादी की खातेदारी में होना नकल जमाबंदीयां प्रदर्श–1 से 2 के अवलोकन से होती है। बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की तीनों पुत्रियों को पक्षकार संयोजित नहीं कर साक्ष्यवादी में इनके बयान पीडब्लयू 1 से 3 कलमबद्ध कराये गये है। पुश्तैनी भूमि में वादी के साथ–साथ प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियां यथा लक्ष्मी, छोटीदेवी व मुन्नी का भी हक हिस्सा निहित है, परन्तु ना तो मुतदाविया खेतायों की भूमि मे पुत्रियों का हक हिस्सा रखा है तथा नहीं अन्य कोई भूमि इनके हक बंट में रखे जाने हेतु साक्ष्य/दस्तावेज पेश किये गये है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 के द्वारा वादपत्र को जरिये इकबालिया जबाब स्वीकार किया गया है। चूंकि प्रकरण हाजा में वादी संख्या 1 जो कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी गिरधारीलाल पिता दुलाराम के जीवित रहते हुये पुश्तैनी खेताय की भूमि का वादपत्र बंट व घोषणा खातेदारी चाही है, जिसे स्वीकार किये जाने में प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये इकबालिया जवाब सहमति पेश की गई है।

चूंकि मुतदाविया खेताय की भूमि में वादी गिरधारीलाल द्वारा ग्राम कमेड़िया तहसील के खसरा नं. 635/ 385, 529/385 की सम्पूर्ण भूमि स्वयं हक बंट व कब्जा काश्त एवं खातेदारी में घोषित किये जाने हेतु वादपत्र पेश किया तथा अनुतोष चाहा है। परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियों का प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया है जिससे यह उक्त प्रकरण हमारी राय में भूमि का अन्तरण किये जाने तथा बिना स्टाम्प शुल्क के हकत्याग किये जाने का प्रतीत होता है। चुकि वादग्रस्त खेताय में से वादी द्वारा खसरा नं. 635/385, 529/385 की सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी चाही है, जिससे लगान में परिवर्तन नहीं हो रहा है।

अतः हम वादी को मुतदाविया खेत खसरा नं. 635/385, 529/385 ग्राम कमेड़िया तहसील जायल की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार/काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है परन्तु चूंकि प्रकरण

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ)
जायल, जिला नागौर

में प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियां क्रमशः लक्ष्मी, छोटीदेवी व मुन्नीदेवी को पक्षकार संयोजित नहीं कर बाले–2 इनका हक हिस्सा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में हकतर्क बिना नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क के किया जाना न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्रियों यथा लक्ष्मी, छोटीदेवी, मुन्नीदेवी के हक हिस्से की भूमि का हकतर्क वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किये जाने के लिए नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क तहसीलदार जायल के पास जमा कराये जाने पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हक हिस्सा पृथक–2 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना उचित होगा।

– : : <u>आदेश</u> : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी गिरधारी के हक बंट, कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा कमेड़या तहसील जायल के खसरा नं. 635/385, 529/385 की भूमि घोषित की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 के हक बंट में ग्राम कमेडिया तहसील के शेष खेत खसरा नं. 259, 260, 308, 309 यथावत् घोषित किये जाते है।
3. तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि वे प्रतिवादी संख्या 1 दूलाराम की पुत्रियां यथा लक्ष्मी, छोटीदेवी व मुन्नीदेवी से नियमानुसार देय स्टाम्पशुल्क जमा कराये जाने पर माफिक डिक्री राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।

निर्णय आज दिनांक 15/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

15/06/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल